पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2019

अनवान :

1. मनोज पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. जोगेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. परमजीत पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. रोहताश पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र लालुराम नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. चन्द्रकान्ता पुत्री रामकिशन नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री रामकिशन नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. एसबीआई छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक छानीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री मुशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 53/115 के मु0नं0 58 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 0.211 है0 खातेदारी दर्ज है। **चक 2 सीएचएन के ही खाता सं0 60/60** के मु0नं0 58 के किला नं0 1 ता 3, 8, 9/1, 9/2, 10, 12, 18, 19, 22, 23 की 2.339 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **चक 1 जेएसएल के खाता सं0 63/59** के मु0नं0 55 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 56 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 68 के किला नं0 1 ता 3, मु0नं0 69 के किला नं0 3 ता 5 कुल 5.313 है0 नहरी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **इसी प्रकार चक 3 जेएसएल के खाता सं0 60/66** के मु0नं0 30 किला नं0 8 ता 14, 17 ता 23, मु0नं0 31 किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 42 किला नं0 5 मु0नं0 43 किला नं0 1, 2, 9 ता 11 कुल 6.413 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **चक 3 जेएसएल के ही खाता सं0 102/108** के मु0नं0 30 के किला नं0 2 ता 4, 7 की 1.012 है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

25.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2019

अनवान :

1. मनोज पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. जोगेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. परमजीत पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. रोहताश पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र लालुराम नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. चन्द्रकान्ता पुत्री रामकिशन नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री रामकिशन नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. एसबीआई छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक छानीबडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादीगण**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 25.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 53/115 के मु0नं0 58 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 0.211 है0 खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 सीएचएन के ही खाता सं0 60/60 के मु0नं0 58 के किला नं0 1 ता 3, 8, 9/1, 9/2, 10, 12, 18, 19, 22, 23 की 2.339 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चक 1 जेएसएल के खाता सं0 63/59 के मु0नं0 55 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 56 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 68 के किला नं0 1 ता 3, मु0नं0 69 के किला नं0 3 ता 5 कुल 5.313 है0 नहरी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 जेएसएल के खाता सं0 60/66 के मु0नं0 30 किला नं0 8 ता 14, 17 ता 23, मु0नं0 31 किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 42 किला नं0 5 मु0नं0 43 किला नं0 1, 2, 9 ता 11 कुल 6.413 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 जेएसएल के ही खाता सं0 102/108 के मु0नं0 30 के किला नं0 2 ता 4, 7 की 1.012 है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादभूमि की जमाबन्दी हाल की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा लालुराम की खातेदारी

25.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हुआ करती थी। लालुराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी रामकिशन कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि का विरासतन इन्ताकल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से जो वादभूमि दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन की बहिस्सा बराबर के अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रामकिशन के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 मनोज पुत्र रामकिशन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी चक 2 सीएचएन के खाता सं0 60/60, 53/115 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2 व 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 2 छानी सम्वत् 2033 प्रदर्श 4, सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी चक 1 जेएसएल के खाता सं0 63/59 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम 1 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 3 जेएसएल खाता सं0 60/66, 102/108 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 7 व 8, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 3 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 सीएचएन सम्वत् 2054 प्रदर्श 10, प्रमाणित प्रतिलिपि जमबान्दी खतौनी ग्राम 3 जेएसएल सम्वत् 2055 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा लालुराम की खातेदारी हुआ करती थी। लालुराम के देहान्त होने पर कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि प्रतिवादी रामकिशन ने तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादीगण ने चक 2 सीएचएन, 1 जेएसएल, 3 जेएसएल के राजव रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने

25.6.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अपने दावा में वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामकिशन के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क किये जाने के तथ्य अंकित किये है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 2 छानी सम्वत् 2033 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम 1 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 3 झांसल सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 सीएचएन सम्वत् 2054 प्रदर्श 10, प्रमाणित प्रतिलिपि जमबान्दी खतौनी ग्राम 3 जेएसएल सम्वत् 2055 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये है जिमसें वाद भूमि वादी के दादा लालु वल्द गंगाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीया सं0 2 व 3 जो कि वादीगण की बहने है ने राजीनामा के अनुसार वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था व वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में रामकिशन के वारिसान में पत्नि बिमला फौत होना, चार पुत्र मनोज, जोगेन्द्र, परमजीत, रोहताश मौजूद होना व दो पुत्री चन्द्रकान्ता, निर्मला देवी मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 53/115 के मु0नं0 58 के किला नं0 4 व 5 की 0.506 है0 में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 0.211 है0 खातेदारी दर्ज है। **चक 2 सीएचएन के ही खाता सं0 60/60** के मु0नं0 58 के किला नं0 1 ता 3, 8, 9/1, 9/2, 10, 12, 18, 19, 22, 23 की 2.339 है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **चक 1 जेएसएल के खाता सं0 63/59** के मु0नं0 55 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 56 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23, मु0नं0 68 के किला नं0 1 ता 3, मु0नं0 69 के किला नं0 3 ता 5 कुल 5.313 है0 नहरी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **इसी प्रकार चक 3 जेएसएल के खाता सं0 60/66** के मु0नं0 30 किला नं0 8 ता 14, 17 ता 23, मु0नं0 31 किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 42 किला नं0 5 मु0नं0 43 किला नं0 1, 2, 9 ता 11 कुल 6.413 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। **चक 3 जेएसएल के ही खाता सं0 102/108** के मु0नं0 30 के किला नं0 2 ता 4, 7 की 1.012 है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

25.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
RAS
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़